समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 28 September 2026

गाजियाबाद क्रिकेट मैच मे बॉलर ने अंपायर पर किया जानलेवा हमला, वाइड बॉल विवाद ने लिया खतरनाक मोड़

Publisher

Published on 26 Sep 2025

गाजियाबाद के **वेव सिटी** में आयोजित एक क्रिकेट मैच में खेल के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। मैच के दौरान अंपायर **अतुल** ने एक गेंद को **वाइड बॉल** करार दिया, जिसके बाद गुस्साए बॉलर और उसके साथियों ने अंपायर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बॉलर ने बैट और स्टंप का इस्तेमाल किया और अंपायर सहित कुछ खिलाड़ियों को भी चोटें आईं।

यह घटना न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए चौंकाने वाली रही, बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई।

वाइड बॉल विवाद से शुरू हुई हिंसा

घटना उस समय हुई जब मैच के दौरान बॉलर ने गेंद फेंकी और अंपायर ने उसे **वाइड** करार दिया। बॉलर को निर्णय पसंद नहीं आया और उसने तुरंत अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद बॉलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंपायर को घेर लिया और उसे धमकाना शुरू कर दिया।

सूत्रों के अनुसार बॉलर ने अंपायर के ऊपर **बैट और स्टंप** से हमला किया। कई खिलाड़ियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए खिलाड़ियों ने उन्हें भी चोट पहुंचाई।

अंपायर और खिलाड़ियों की स्थिति

हमले के दौरान अंपायर अतुल को **सर और हाथ पर गंभीर चोटे** आई हैं। कुछ खिलाड़ियों को हल्की चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंपायर की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह घटना खेल के दौरान होने वाली हिंसा की गंभीरता को दर्शाती है।

पुलिस ने बताया कि हमले में इस्तेमाल किए गए बैट, स्टंप और अन्य उपकरणों को **साक्ष्य के तौर पर जब्त** कर लिया गया है।

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

घटना के तुरंत बाद गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित खिलाड़ियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि **किसी भी खेल आयोजन मे हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी** और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने भी आदेश दिए हैं कि मैचों के दौरान सुरक्षा को बढ़ाया जाए और अंपायरों और खिलाड़ियों के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।

क्रिकेट जगत मे प्रंतिक्रिया

क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय क्लबों ने इस घटना की निंदा की है। कई कोच और पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं कि खेल के दौरान **गुस्सा और हिंसा का कोई स्थान नहीं** है। उन्होंने कहा कि खेल को मैदान तक ही सीमित रहना चाहिए और किसी भी निर्णय से नाराज होकर किसी पर हमला करना पूरी तरह गलत है।

कुछ क्रिकेट विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे मामले खेल की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और युवा खिलाड़ियों पर **गलत संदेश** छोड़ते हैं।

खेल मे हिंसा के बढ़ते मामले

यह कोई पहला मामला नहीं है जब क्रिकेट के दौरान हिंसा सामने आई हो। पिछले कुछ सालों में स्थानीय और घरेलू मैचों में बॉलर और फैंस की हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि **अधूरी निगरानी और सुरक्षा की कमी** ऐसी घटनाओं का कारण बनती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि खेल आयोजक और प्रशासन **सख्त नियम और सुरक्षा इंतजाम** सुनिश्चित करें ताकि खिलाड़ी और अंपायर दोनों सुरक्षित रहें।

बॉलर और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि गुस्साए बॉलर और उसके साथियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि **सभी साक्ष्यों और वीडियो फुटेज की जांच** की जा रही है ताकि मामले को गंभीरता से निपटाया जा सके।

विशेष जांच दल इस बात का पता लगा रहा है कि क्या हमले में और कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था या नहीं।

सुरक्षा और नियमों की अहमियत

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि खेलों में **सख्त नियम और सुरक्षा उपाय** कितने जरूरी हैं। खिलाड़ियों को चाहिए कि वे मैदान पर निर्णय का सम्मान करें और किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा न लें।

अंपायरों और रेफरी के लिए भी यह संदेश है कि उन्हें सुरक्षित माहौल में खेल संचालन करना चाहिए और किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में प्रशासनिक मदद तुरंत प्राप्त करनी चाहिए।

गाजियाबाद के वेव सिटी में हुए इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि खेल में गुस्सा और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वाइड बॉल के निर्णय पर विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया और अंपायर तथा खिलाड़ियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा कर दिया।

पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई और सुरक्षा उपाय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्रिकेट का उद्देश्य केवल खेल और मनोरंजन है, और इसे **हिंसा और विवाद** से दूर रखना ही सही संदेश है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.